

35

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक 627-दो/2006 निगरानी - विरुद्ध आदेश दिनांक
05-01-2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण
क्रमांक 528/2001-02 अपील

- 1- रामजियावन पुत्र गंगा कुर्मी
 - 2- शीतलाप्रसाद पुत्र गंगा कुर्मी
 - 3- भरतलाल पुत्र गंगा कुर्मी
 - 4- शोभनाथ पुत्र गंगा कुर्मी
- चारों ग्राम बर्रोहा थाना नईगढ़ी
जिला रीवा, मध्य प्रदेश

---आवेदकगण

विरुद्ध

- 1- रामभुवन 2- रामप्रताप 3- रामगरीव
तीनों पुत्रगण रामदुलारे नाई
ग्राम झाली तहसील रघुराजनगर जिला सतना
- 4- महिला रामवती पत्नि रामदुलारे नाई
सभी ग्राम बर्रोहा तहसील नईगढ़ी जिला रीवा

---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री के0के0द्विवेदी)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री एस0के0श्रीवास्तव)

आ दे श

(आज दिनांक 02-05-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक
528/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 5-1-2006 के विरुद्ध म0

प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारोश यह है कि अनावेदकगण ने तहसीलदार रामपुर के

समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर मांग की कि मौजा बर्रोहा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 240/1 रकबा 21-97 एकड़ में से जुज रकबा 0.30 डि. (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) उनकी आबादी निस्तार की भूमि होकर एक बेर, दो नीम, दो बबूल के पेड़ खड़े हैं जिस पर उनका लम्बे समय से कब्जा चला आ रहा है इसलिये शासकीय अभिलेख में कब्जा दर्ज किया जाय। तहसीलदार रामपुर ने प्रकरण क्रमांक 20 अ-6-अ/1997-98 पंजीबद्ध किया तथा सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 9-8-1998 पारित करके अनावेदकगण का कब्जा दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरुद्ध आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी मउगंज के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण क्रमांक 367-अ-6-अ/ 99-2000 में पारित आदेश दिनांक 28-2-2002 से अपील अस्वीकार की। इस आदेश के विरुद्ध आवेदकगण ने अपर आयुक्त,रीवा संभाग,रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त ने प्रकरण क्रमांक 528/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 5-1-2006 से अपील अस्वीकार की। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में वर्णित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि मौजा बर्रोहा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 240/1 रकबा 21-97 एकड़ आवेदकगण की पैत्रिक भूमि है जो पूर्व में पिता गंगा कुर्मी के नाम थी उनकी मृत्यु उपरांत आवेदकगण के नाम वारिसाना हक पर आई है। आवेदकगण मौके पर काविज है एवं आधिपत्यधारी भूमिस्वामी है। तहसील न्यायालय ने फर्जी तामील के आधार पर आवेदकगण को अनुपस्थित मानकर एकपक्षीय आदेश पारित किया है जिस पर अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त ने गौर नहीं किया है, उन्होंने निगरानी स्वीकार करने की मांग की।

अनावेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि मौजा बर्रोहा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 240/1 रकबा 21-97 एकड़ में से रकबा 0.30 डि. अनावेदकगण के निस्तार की भूमि है जिसमें एक बेर का पेड़, दो नीम के पेड़ एवं दो बबूल के पेड़ खड़े हैं जिस पर अनावेदकगण का लम्बे अंतराल से कब्जा है इसलिये तहसीलदार


रामपुर ने प्रकरण क्रमांक 20 अ-6-अ/1997-98 में जॉच करके आदेश दिनांक 9-8-1998 पारित किया है तथा अनावेदकगण का मौके पर लम्बे समय से कब्जा प्रमाणित होने के कारण कब्जा दर्ज करने के आदेश दिये। उन्होंने निगरानी निरस्त करने की मांग की।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एवं निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के अवलोकन पर पाया गया कि आवेदकगण के अभिभाषक ने निगरानी मेमो के तथ्यों पृष्ठ पर - 2 पर लायन नंबर 4 में क्रमशः इसप्रकार लिखा है :-

“ आवेदक/निगराकार के पिता गंगा कुर्मी ने गैर निगराकारगण के पिता दुलारे नाई की स्थिति पर तरस खाकर उक्त आराजी नं0 240/1 पर बने अपने मवेशी के बांधने के लिये सार को रखने के लिये दे दिया था”

उपरोक्त का आशय यही है कि अनावेदकगण का वादग्रस्त भूमि पर पिता के जमाने से कब्जा है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण क्रमांक 367-अ-6-अ/99-2000 में पारित आदेश दिनांक 28-2-2002 से तहसीलदार के आदेश दिनांक 9-8-1998 को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 528/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 5-1-2006 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को स्थिर रखा है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि करना परिलक्षित नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 528/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 5-1-2006 विधिवत् पाये जाने से यथावत् रखा जाता है एवं निगरानी निरस्त की जाती है।


(एस0एस0अली)

सदस्य

राजस्व मण्डल, म0प्र0

ग्वालियर